HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

MEMO

No. Q/RJ-I/JJ/41 **Jabalpur dated: -23.01.2018**

To,

The District & Sessions Judge
All Districts.

Sub:- Programme on National Girls Child Day dated 24th January, 2018.

******

Respected Sir/Madam

On the aforementioned subject, this is to apprise that a social awareness programme is being organized by Department of Women and Child Development, Government of Madhya Pradesh in all the 1091 Police Stations in State of Madhya Pradesh on National Girl Child Day 24th January, 2018.

As directed please instruct the Judicial Magistrates of the concerned Police Stations to participate in the said programme during their lunch hours.

Please, apprise about the steps taken in this regard.

Encl.

1. **Copy of Letter of Principal Secretary Women and Child Development.**
2. **Copy of programme.**

23/1/18

Pankaj Gaur
Registrar (Judl.-I)
Email: hcregistrarjudicial1@gmail.com

Endt.No Q/RJ-I/JJ/ **Jabalpur, dated 23.01.2018**

Shri J.N. Kansotiya
Principal Secretary,
Women and Child Development Department,
Bhopal.

With a request to coordinate with the concerned Magistrates for successful participation.

Sd/-
Pankaj Gaur
Registrar (Judl.-I)
Email: hcregistrarjudicial1@gmail.com
Phone: 0761-2622250
Mob: 9425151588

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

ई मेलः-srcwmadhyapradesh@gmail.com
दूरभाष :0755-2550102

भोपाल, दिनांक 21 /01/2018

क्रमांक/स.म.स./2018/38

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल
माननीय उच्च न्यायालय
जबलपुर म.प्र.

विषय :-''राष्ट्रिय बालिका दिवस ''24 जनवरी 2018 को सामाजिक चेतना के लिये आयोजित ''सम्मान–सुरक्षा–स्वरक्षा संवाद'' कार्यक्रम में सहभागिता बावत्।

महिलाओ एवं बालिकाओ की सुरक्षा एवं संरक्षण के मद्देनजर दिनांक 24 जनवरी 2018''राष्ट्रिय बालिका दिवस '' (National Girl Child Day) '' के अवसर पर प्रदेश के सभी 1091 थानो पर एक साथ दोपहर 1:30 से 4.30 तक महिला एवं बाल अधिकार एवं सुरक्षा से जुडे कानूनी विषयों एवं समाज की भूमिका को लेकर सामाजिक चेतना के लिये थाना परिसर में ''सम्मान–स्वरक्षा–सुरक्षा संवाद'' आयोजित किया जा रहा है (परिशिष्ट संलग्न)। थाना परिसर में आयोजित किये जाने वाले इस जन संवाद कार्यक्रम में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक एक घंटे के लिये उपस्थित रहकर श्रोताओं को विधिक साक्षरता का प्रशिक्षण संपन्न कराने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध हैं।

द्वितीय फेज़ में संबंधित थाना परिक्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पर भी उपरोक्तानुसार ''सम्मान–स्वरक्षा–सुरक्षा संवाद'' कार्यक्रम आयोजित किये जावेंगे। अनुरोध है कि महिला एवं बाल अधिकार एवं सुरक्षा से जुडे कानूनी विषयों पर सामाजिक चेतना एवं जन जाग्रति हेतु उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी उपस्थित रहने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

सही/-
(जे.एन.कांसोटिया)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ0 क्र0/सं.म.स./2017/39

भोपाल, दिनांक/21/01/2018

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,महिला अपराध म.प्र.।
3. आयुक्त महिला सशक्तिकरण म.प्र.।

प्रमुख सचिव 20/1/18
म.प्र.शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

Scanned by CamScanner

24 जनवरी 2018 राष्ट्रीय बालिका दिवस

दिनांक 24 जनवरी 2018 राष्ट्रीय बालिका दिवस को प्रदेश के समस्त 1091 पुलिस थानो पर महिलाओ की सुरक्षा के प्रति सामाजिक चेतना जगाने के लिये जनसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न होने है , यह कार्यक्रम फरवरी 2018 में थाना मुख्यालय परिक्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में तथा दूसरी बार थाना परिक्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या वाली द्वितीय ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर आयोजित होंगें, इसका समापन 08 मार्च 2018 को होगा। *3 नामांकित प्रशिक्षको द्वारा यह प्रशिक्षण सम्पन्न होगा।*

" सम्मान–सुरक्षा–स्वरक्षा संवाद"

स्थान – पुलिस थाना एवं परिक्षेत्र की क्रमशः 2 ग्राम पंचायत का मुख्यालय।

Fecilitato – जिले से थानास्तर के 3 नामांकित प्रशिक्षक

प्रतिभागी – महिला पंच–सरपंच ग्राम पंचायत में पदस्थ समस्त विभागो के कर्मचारी, शौर्या दल सदस्य, ग्राम पंचायत स्तर की सभी उप समितियों के सदस्य एवं स्थानीय महिलाऐं व पुरूष ।

समय	सत्र	विषय	**Fecilitater सहजकर्ता**
1.30 – 2.15 PM	महिला विषयों पर उन्मुखीकरण	महिलाओं की सुरक्षा मुद्दे पर संवेदीकरण	
2.15 – 2.45 PM	महिलाओं के लिये विधिक साक्षरता प्रशिक्षण	विधिक साक्षरता	विधि विभाग
2.45 - 3.30 PM	बाल कानूनों पर उन्मुखीकरण	1. पोक्सो अधिनियम 2012 2. किशोर न्याय अधिनियम 2015 3. फिल्म – कोमल	Fecilitater
3.30 - 4.00 PM	महिला कानूनों पर उन्मुखीकरण	1. घरेलू हिंसा अधिनियम–2005 2. पीडित प्रतिकर योजना 1. फिल्म –महिला अपराधों के प्रति जागरूकता	Fecilitater
4.00 PM - 4.15 PM	खुला मंच,चर्चा एवं प्रश्नावली		
4.15 PM - 4.30 PM	समापन		

दिनांक ***8 मार्च 2018*** को समस्त जिलो मे महिलाओ की सुरक्षा मे इंटरनेट की भूमिका की ओर ध्यानाकर्षण के लिये पुलिस विभाग के सहयोग से सायबर काईम पर आधारित कार्यशाला का आयोजन होगा ।